रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड-1
PART I—SECTION 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2018/माघ 9, 1939
No. 44] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2018/MAGHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2018

(i) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.42 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.48 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 7.61 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032 तथा (vi) 7.68 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 को जारी करना।

फा.सं. 4 (27)-डब्ल्यू एवं एम/2017.— भारत सरकार एतद्द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 को (i) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.42 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.48 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 7.61 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032 तथा (vi) 7.68 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से विशेष प्रतिभूति के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

(i) केवल इसके अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कारपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख :-

(i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंकों से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी ।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में बनाए रखे निवेशकर्ता बैंकों के सब्सिडियरी जनरल अकाउंट में क्रेडिट करके "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

4. ब्याज एवं वापसी :-

विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख़ को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित रूप से ब्याज दर देय होगी :

प्रतिभूति	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख
क) 7.35 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028	7.35 प्रतिशत	29 जनवरी, 2028
ख) 7.42 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029	7.42 प्रतिशत	29 जनवरी, 2029
ग) 7.48 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030	7.48 प्रतिशत	29 जनवरी, 2030
घ) 7.55 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	7.55 प्रतिशत	29 जनवरी, 2031
ड़) 7.61 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	7.61 प्रतिशत	29 जनवरी, 2032
च) 7.68 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	7.68 प्रतिशत	29 जनवरी, 2033

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपये में परिकलन (राउंड ऑफ) करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, 50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और 50 और उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में परिकलित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

5. **हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन** :-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होंगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति भी नहीं होगी।

6. **सांविधिक प्रावधान :-**

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएगी।

7. **कर कानूनों का लागू होना :-**

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज को समय समय पर यथाप्रयोज्य कर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. **विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-**

जहां तक किसी सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अपेक्षा है, इस संबंध में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा इन विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

9. **एचटीएम प्रस्थिति :-**

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मापदड़ों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी भी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

अनुबंध

[संदर्भ फा. सं. 4(27)-डब्ल्यू एवं एम/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2018]

सरकारी क्षेत्र के पात्र बैंकों की सूची तथा (i) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.42 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.48 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 7.61 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032 तथा (vi) 7.68 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 प्रतिभूतियों का आवंटन।

क्रम सं.	पात्र बैंक का नाम		निम्नलिखित वर्ष में परिपक्व (₹ करोड़)					(₹ करोड़)
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	आवंटित राशि
1	इलाहबाद बैंक	250	250	250	250	250	250	1500
2	आंध्रा बैंक	315	315	315	315	315	315	1890
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	900	895	895	895	895	895	5375
4	बैंक ऑफ इंडिया	1165	1162	1162	1162	1162	1162	6975
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	423	420	420	420	420	420	2523
6	कैनरा बैंक	815	810	810	810	810	810	4865
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	810	805	805	805	805	805	4835
8	कॉरपोरेशन बैंक	367	364	364	364	364	364	2187
9	देना बैंक	467	467	467	467	467	467	2802
10	आईडीबीआई बैंक	1316	1313	1313	1313	1313	1313	7881
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	692	688	688	688	688	688	4132
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	596	595	595	595	595	595	3571
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	135	130	130	130	130	130	785
14	पंजाब नैशनल बैंक	913	912	912	912	912	912	5473
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1470	1466	1466	1466	1466	1466	8800
16	सिंडिकेट बैंक	474	473	473	473	473	473	2839
17	यूको बैंक	857	855	855	855	855	855	5132
18	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	754	754	754	754	754	754	4524
19	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	439	439	439	439	439	439	2634
20	विजया बैंक	217	212	212	212	212	212	1277
	कुल	**13,375**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**80,000**

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2018

Issue of (i) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.42 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2029;. (iii) 7.48 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iv) 7.55 per cent (Non-transferable) Special Security Gol 2031; (v) 7.61 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; and (vi) 7.68 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2033.

F. No. 4(27)-W&M/2017.— Government of India hereby notifies the issue of (i) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.42 per cent (Non-transferable) Special Gol Security2029; (iii) 7.48 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iv) 7.55 per cent (Non-transferable) Special Security Gol 2031; (v) 7.61 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; and(vi) 7.68 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033, (hereinafter briefly described as "the special security") on January 29, 2018.

1. <u>Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:</u>

(i) The Public Sector Banks as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and their subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Public Sector Banks as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. <u>Price and Date of Issue:</u>

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible banks.

3. <u>Form of Security:</u>

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. <u>Interest and Repayment:</u>

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the security. Interest on the security will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S. No.	Security	Rate of Interest	Date of maturity
1.	7.35 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2028	7.35 per cent	January 29, 2028
2.	7.42 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2029	7.42 per cent	January 29, 2029
3.	7.48 (Non-Transferrable) Special GoI Security 2030	7.48 per cent	January 29, 2030
4.	7.55 (Non-Transferrable) Special GoI Security 2031	7.55 per cent	January 29, 2031
5.	7.61 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2032	7.61 per cent	January 29, 2032
6.	7.68 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2033	7.68 per cent	January 29, 2033

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. <u>Transferability and Conversion:</u>

The special security shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Security:

The investment in the special security by the investing banks would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing banks.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure

[Ref. F.No.4(27)-W&M/2017 dated January 29, 2018]

List of Eligible Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) 7.35 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2028; (ii) 7.42 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2029;. (iii) 7.48 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iv) 7.55 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 7.61 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; and (vi) 7.68 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033.

S. No.	Name of Eligible Bank		Maturing in Year (₹ crore)					(₹ crore)
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	Amount Allocated
1	Allahabad Bank	250	250	250	250	250	250	1500
2	Andhra Bank	315	315	315	315	315	315	1890
3	Bank of Baroda	900	895	895	895	895	895	5375
4	Bank of India	1165	1162	1162	1162	1162	1162	6975
5	Bank of Maharashtra	423	420	420	420	420	420	2523
6	Canara Bank	815	810	810	810	810	810	4865
7	Central Bank of India	810	805	805	805	805	805	4835
8	Corporation Bank	367	364	364	364	364	364	2187
9	Dena Bank	467	467	467	467	467	467	2802
10	IDBI Bank	1316	1313	1313	1313	1313	1313	7881
11	Indian Overseas Bank	692	688	688	688	688	688	4132
12	Oriental Bank of Commerce	596	595	595	595	595	595	3571
13	Punjab and Sind Bank	135	130	130	130	130	130	785
14	Punjab National Bank	913	912	912	912	912	912	5473
15	State Bank of India	1470	1466	1466	1466	1466	1466	8800
16	Syndicate Bank	474	473	473	473	473	473	2839
17	Uco Bank	857	855	855	855	855	855	5132
18	Union Bank of India	754	754	754	754	754	754	4524
19	United Bank of India	439	439	439	439	439	439	2634
20	Vijaya Bank	217	212	212	212	212	212	1277
	Total	**13,375**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**13,325**	**80,000**

By Order of the President of India

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.30 15:45:09 +05'30'